न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 95/2024
प्रकरण दायर दिनांक 26.06.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 29.11.2024

उनवान

1. पप्पू लाल पुत्र बसंता
2. रमेश चंद पुत्र बसंता
समस्त जाति माली निवासी ढाणी हरिजन, आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत अन्तर्गत धारा 128 रा.लैण्ड रेवन्यु एक्ट"

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि काश्त खाता संख्या नया 21 पुराना 26 खसरा नं. 235, 464/203, 471/221, 473/222, 478/224, 480/227, 482/232, 484/233 कुल किता 08 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर वाके रामा ग्राम ढाणी हरिजन तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि में से खसरा नं. 480/227 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा नं. 484/233 रकबा 0.01 हैक्टे. का सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 को हल्का पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा उपतहसीलदार आभानेरी के आदेश कमांक भू.अ./सीमाज्ञान/2024/04 दिनांक 24.05.2024 की पालना में किया जाकर समस्त भुजाओं पर प्रार्थीगण व अन्य मौतबिरानो के समक्ष निशानात करवाये गये एवं लगवाये गये जिससे प्रार्थीगण को अवगत कराया गया है। लेकिन पत्थरगढी नहीं होने से उक्त निशानात स्थाई रूप से मौके पर नहीं रह सकेंगे जिससे प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को लेकर पुनः विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। ऐसी सूरत में किये गये सीमाज्ञान की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 480/227 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा नं. 484/233 रकबा 0.01 हैक्टे. वाके रामा ग्राम ढाणी हरिजन तहसील बांदीकुई जिला दौसा की सीमा पर पत्थरगढी का आदेश तहसीलदार बांदीकुई को जारी फरमाया जावें एवं शीघ्र ही बईमदाद पुलिस पत्थरगढी के आदेश की पालना फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात व सीमाज्ञान वाके ग्राम ढाणी हरिजन दिनांक 12.06.2024 का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2075–2078 ग्राम ढाणी हरिजन खाता सं. नया 21 पुराना 26 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। सीमाज्ञान वाके ग्राम ढाणी हरिजन दिनांक 12.06.2024 के अनुसार भूमि खसरा नं. 480/227 व 484/233 का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व सीमाज्ञान ग्राम ढाणी हरिजन दिनांकः 12.06.2024 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बॉदीकुई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 21 पुराना 26 के खसरा नं. 480/227 व 484/233 स्थित ग्राम ढाणी हरिजन तहसील बांदीकुई जिला दौसा का सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 के अनुसार विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

29/12/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०/अप्रार्थी जरिये नोटिस तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 22/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
22/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. के [illegible] कार्य से व्यस्त होने से [illegible] पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 7/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
07/11/24	पत्रावली [illegible] हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. [illegible] कार्य से व्यस्त होने से [illegible] पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 27/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
27/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तलबी नोटिस अप्रार्थीगण बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दि. 29.11.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व [illegible] अहकाम हुक्म की में जारी
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 29/11/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...क से लिखा जाकर शामिल पत्रावली ... पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई ... जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर ... दाखिल दफ्तर हो। 29/11/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

शय
26
कुल
स्थित
नं.
ल्का
की
गये
क्त
पुनः
या
या
बा
का
देश